सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 09, मंगलवार, शाके 1943-नवम्बर 30, 2021
Agrahayana 09, Tuesday , Saka 1943- November 30, 2021

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 29, 2021

संख्या एफ.3(1)(1)रोल/निर्वा/2008/पार्ट–।।/6400 :–निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 429/राज./2018(1) दिनांक 24 नवम्बर, 2021 सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 24 नवम्बर 2021

3 अग्रहायण, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं. 429/राज./2018(1) - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 ख की उप धारा-1 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि राजस्थान राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारिओं की नियुक्ति से संबंधित समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 13 सितंबर, 2018 अधिसूचना सं. 429/राज./2018(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएगे।

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, स्तम्भ संख्या 1 में उल्लिखित विधानसभा क्षेत्रों के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी।

तालिका

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	प्रस्तावित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2
123- लोहावट	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लोहावट
129-सूरसागर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर (उत्तर)

आदेश से,

राहुल शर्मा,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 24th November, 2021

3 Agrahayna, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/RJ/2018(1)- in pursuance of the provision of sub-Section (1) of Section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby directs that the following amendments shall be made in the Notification No. 429/RJ /2018(1) dated 13th September, 2018, as amended from time to time relating to the appointment of Electoral Registration Officer(s) for Assembly Constituency in the State of Rajasthan.

In Column 2 of the table appended to the said Notification for the existing entries in Column 2 against the Constituencies mentioned in column 1, the following entries shall be substituted:-

TABLE

No. & Name Assembly Constituency	**Proposed Electoral Registration Officer**
1	2
123-Lohawat	Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Lohawat
129-Sursagar	Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Jodhpur (North)

By Order,

RAHUL SHARMA,
PRINCIPAL SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।